न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

223RTA2018-00343Jodh2018-142 Dhimaram etc Vs Harlal etc

1. धीमाराम पुत्र मिसरीराम विश्नोई
2. चेनाराम पुत्र मिसरीराम विश्नोई
   निवासी मीनों की ढाणी,
   तहसील ओसियां, जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. हरलाल पुत्र मिसरीराम विश्नोई
2. रामुराम पुत्र मिसरीराम विश्नोई
   निवासीगण मीनों की ढाणी
   तहसील ओसियां, जिला जोधपुर
3. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार ओसियां
   जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिकी न्यायालय सहायक कलेक्टर, ओसियां दिनांक 28 फरवरी 2018 राजस्व वाद संख्या 84/2008 हरलाल बनाम धीमाराम इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री सुगनमल परिहार एवं श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री पर्वतसिंह भाटी, श्री जेठूसिंह भाटी, अधिवक्ता-रेस्पो. 1 व 2
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. 3

नि र्ण य

दिनांक : 12 अक्तूबर, 2021

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर ओसियां द्वारा राजस्व वाद संख्या 84/2008 हरलाल बनाम धीमाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 28 फरवरी 2018 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत 07 सितम्बर 2018 को प्रस्तुत की है। अपील के साथ ही

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट्स की ओर से शपथपत्र सहित एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो.-वादी हरलाल ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53 एवं 188 के तहत एक राजस्व वाद निम्नलिखित आराजियात वादी-रेस्पो. संख्या एक तथा प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स व रेस्पो. संख्या दो की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे-काश्त की होना जाहिर करते हुए स्वयं का वादग्रस्त आराजियात में ¼ हक-हिस्सा होना बताया और तनुसार वाद में वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया:--

गांव का नाम		खसरा सं.	रकबा		बंट	
			बीघा	बिस्वा		
एकलखोरी	1	277	00	2	वादी-रेस्पो. संख्या एक का ¼ हिस्सा	प्रतिवादीगण (अपीलाण्ट्स एवं रेस्पो. संख्या दो) का ¾ हिस्सा
	2	278	10	15		
	3	278/1	29	00		
	4	281	14	17		
	5	282	00	03		
	6	289	11	10		
	7	290	5	10		
	8	301	3	13		
	9	303	5	08		
	योग (1)		80	5		
मीनों की ढाणी		4	76	05	वादी-रेस्पो. संख्या एक का ¼ हिस्सा	प्रतिवादीगण (अपीलाण्ट्स एवं रेस्पो. संख्या दो) का ¾ हिस्सा
		44	01	19		
		188	15	13		
		193	13	17		
		205	16	10		
		221	10	12		
	योग (2)		134	16		

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद संस्थित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, प्रतिवादीगण की ओर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता ने उपस्थित होकर जबाबदावा पेश किया और वादी-रेस्पो. संख्या दो के वाद का विरोध किया और साथ ही मजीद उजरात एवं काउण्टर क्लेम पेश कर समस्त वादग्रस्त आराजियात प्रतिवादीगण के नाम दर्ज की जाकर वादी-रेस्पो. संख्या एक का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाने की इस्तदुआ की। दावे, जबाब एवं काउण्टर क्लेम के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियात कायम की गयी और उभयपक्ष की साक्ष्य सुनवाई के बाद वादी-रेस्पो. संख्या एक का दावा दिनांक 28 फरवरी 2012 को स्वीकार कर लिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय एवं डिक्री के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या 023/2012 धीमाराम बनाम हरलाल आदि दिनांक 27 फरवरी 2013 को आंशिक तौर पर स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः प्रकरण दर्ज किया जाकर कार्यवाही आरम्भ की गयी और दिनांक 28 फरवरी 2018 को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करते हुए वादी-रेस्पो. संख्या एक का दावा स्वीकार कर लिया गया। जिसके खिलाफ आलौच्य अपील पेश की गयी है।

सर्वप्रथम उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम बाबत सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने इस संबंध में जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावे में बहस सुनी जाकर निर्णय हेतु रिजर्व रखा गया किन्तु काफी समय तक कोई निर्णय घोषित नहीं किया गया और अकस्मात अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की तबादला हो जाने पर पीछे की तारीख में 07 फरवरी 2018 को निर्णय किया जाना दर्शा दिया, जबकि उक्त दिनांक की कोई आज्ञा सूची भी संधारित नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री बाबत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट्स को समुचित समय में कोई जानकारी नहीं हो पायी। 22 अगस्त 2018 को पटवारी हळका ने अपीलाण्ट्स को बताया कि वादग्रस्त आराजियात के विभाजन हेतु उसके पास आदेश आया है जो फसल लेने के बाद तैयार किये जायेंगे। तब 24 अगस्त 2018 को अपीलाण्ट्स अपने अधिवक्ता से मिला एवं सारी स्थिति बतायी तो अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जानकारी करने पर विदित हुआ कि पत्रावली में दिनांक 28 फरवरी 2018 को प्रकरण निर्णित बता दिया गया। तब अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकलें आदि प्राप्त कर बाद आवश्यक कार्यवाही आलौच्य अपील जानकारी की दिनांक से अदालत हाजा के समक्ष पेश की गयी है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियादशुमार की जावे।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने मियाद के संबंध में अपील अपीलाण्ट्स खारिज किये जाने का अनुरोध करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने के दिन अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी-अपीलाण्ट्स के अधिवक्ता उपस्थित थे और कानूनन अधिवक्ता की उपस्थिति स्वयं पक्षकार की उपस्थिति अवधारित की जाती है। अतः जाहिर है कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने की दिनांक 28 फरवरी 2018 को अपीलाण्ट्स को उसकी समुचित जानकारी हो चुकी थी। अतः प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है।

मियाद के संबंध में उभयपक्षकारा की सुनवाई एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त यह पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आदेशिकाओं के अनुसार अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने की आदेशिका दिनांक 28 फरवरी 2018 की लिखी हुई है जिसमें पुनश्चः लिखा जाकर "मिसल इन्तजार बंटवाडा प्रस्ताव हेतु दिनांक 16.7.18 को पेश हो" जोडा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गया है। सामान्यतः विभाजन के मामले में वाद स्वीकार करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर विभाजन प्रस्ताव तलब करने बाबत इतनी अधिक अवधि की पेशी मुकर्रर नहीं की जाती है। यही नहीं, अदालत हाजा के समक्ष केवियट प्रार्थनापत्र भी वादी-रेस्पो. द्वारा दिनांक 02 अगस्त 2018 को प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में भी यह अंकित करना प्रासंगिक है कि सामान्यतः केवियट प्रार्थनापत्र अधीनस्थ न्यायालय में निर्णय पारित होने के बाद शीघ्रतिशीघ्र अपीलीय न्यायालय में पेश कर दिया जाता है। यद्यपि इस संबंध में कोई निर्धारित नियम तो नहीं है, तथापि सामान्य व्यवहार से अलग होने के कारण एक दुविधा एवं संशय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसका लाभ प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स को दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों एवं मियाद के बिन्दु बाबत नरम रवैया अपनाये जाने से संबंधित समय-समय पर विभिन्न उच्च न्यायालयों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में अपीलाण्ट्स का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अपीलाण्ट्स अन्दर मियादशुमार की जाती है।

गुणावगुण पर बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावे, जबाबदावे एवं काउण्टर क्लेम के अनुरूप समुचित तनकियात कायम नहीं किये गये, उचित तनकियात के अभाव में दावे की तमाम कार्यवाही दूषित हो चुकी थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र जमाबंदी के इन्द्राजात को सही मान लिया गया, जबकि प्रतिवादी-पक्ष में मजबूत शहादत से राजस्व रिकार्ड त्रुटिपूर्ण होना साबित कर दिया था। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स का यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में पेश साक्ष्य सबूत का भी समुचित एवं सही विवेचन नहीं किया गया है। यही नहीं, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

काउण्टर क्लेम के संबंध में न तो कोई तनकी कायम की गयी और न ही काउण्टर क्लेम के संबंध में कोई निष्कर्ष पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष साक्ष्य में स्वयं वादी-रेस्पो. संख्या एक व प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या दो ने यह स्वीकार किया है कि हरलाल ने अन्य भूमियॉ पत्नी व बच्चों के नाम कय की है। जिनकी रजिस्ट्रीयॉ भी मौजूद है। पूर्व में अदालत हाजा द्वारा भी प्रकरण रिमाण्ड करते हुए निर्देश दिये थे कि खरीदी गयी आराजियात पैतृक गुणधर्म रखती है अथवा नहीं, इस संबंध में सुनवाई कर निष्कर्ष पारित किया जावे। अतः अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी का समर्थन करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार समुचित विश्लेषण करते हुए निर्णय पारित किया गया है। काउण्टर क्लेम एवं अदालत हाजा द्वारा पूर्व में प्रकरण रिमाण्ड करते हुए दिये गये निर्देशों के संबंध में तनकी संख्या तीन स्वयं में एक परिपूर्ण तनकी है, जिसके संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य सबूत का विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए उक्त तनकी(जिसका सिद्धभार प्रतिवादी पक्ष पर रखा गया) का निस्तारण वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के खिलाफ किया गया है। अंत में अधिवक्ता-रेस्पो. ने निवेदन किया कि सारहीन होने के कारण अपील खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख एवं प्रस्तुत नजीरों का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स की ओर से जो जबाबदावा मय काउण्टर क्लेम अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, उसमें वादग्रस्त आराजियात वादी-रेस्पो. हरलाल द्वारा परिवार की सामलाती रकम से

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्लाट खरीदा और उक्त प्लाट का बेचान करने पर प्राप्त राशि से अपने व अपने परिवार वालों के नाम मीनो की ढाणी के खसरा संख्या 1295 रकबा 137 बीघा 14 बिस्वा में से ¼ हिस्सा जमीन स्वयं के नाम से, खसरा संख्या 35/1 रकबा 24 बीघा 03 बिस्वा अपनी पत्नी चीमूदेवी के नाम से व खसरा संख्या 1263 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा तथा खसरा संख्या 1264 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा भूमि अपने स्वयं के नाम से तथा ग्राम एकलखोरी के खसरा संख्या 260 रकबा 28 बीघा 04 बिस्वा की भूमि अपने पुत्रों के नाम कय कर ली। वादी-रेस्पो. की ओर से प्रस्तुत वाद का निस्तारण करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 फरवरी 2012 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या 023/2012 धीमाराम बनाम हरलाल आदि दिनांक 27 फरवरी 2013 को आंशिक तौर पर स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड कर पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई कर इस तथ्य की जांच हेतु निर्देशित किया कि वादी-रेस्पो. हरलाल की पत्नी व पुत्रों के नाम खरीद की गयी भूमि पैतृक गुण रखती है अथवा नहीं? प्रकरण रिमाण्ड किये जाने के बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये वादी-रेस्पो. संख्या एक का दावा स्वीकार कर लिया गया। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निम्नलिखित तीन तनकियात कायम की गयी -

तनकी संख्या एक - आया वादी वादग्रस्त भूमि में अपना ¼ हिस्सा घोषित करवा कर के इसी कदर मीट्स एण्ड बाउण्डस से बंटवारा करवाने का अधिकारी है? इस तनकी को साबित करने का दायित्व वादी पर रखा गया। जिसके निर्वहन के लिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श- पी.1 व पी.2 नकल जमाबंदी व प्रदर्श 3 व 4 नजरी नक्शा पेश किये गये। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श-1

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नकल जमाबंदी ग्राम एकलखोरी संवत 2061-2064 व प्रदर्श-2 नकल जमाबंदी ग्राम मीनों की ढाणी संवत 2061-2064 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजियात धीमाराम, रामूराम, हरलाल, चैनाराम पिसरान मिसराराम जाति विश्नोई साकिन देह खातेदारान के नाम दर्ज है। मौखिक साक्ष्य में प्रस्तुत शपथपत्रों आदि के जरिये वादी-रेस्पो. संख्या एक गवाहान ने वादपत्र में वर्णित अभिकथनों की पुष्टि की, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजियात में वादी-रेस्पो. संख्या एक का ¼ हक-हिस्सा होना मानते हुए तनकी संख्या एक का निस्तारण वादी-रेस्पो. संख्या एक के पक्ष में बरखिलाफ प्रतिवादीगण किया गया है। जिससे अदालत हाजा सहमत है।

तनकी संख्या दो - आया वादी प्रतिवादीगण के विरुद्ध वांछित स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है? इस तनकी को साबित करने का दायित्व भी वादी-रेस्पो. संख्या एक पर ही रखा गया। प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य तथा तनकी संख्या एक के संबंध में पारित निष्कर्ष के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद विभाजन के वादी को प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का मुश्तहक मानते हुए तनकी संख्या दो को वादी-रेस्पो. के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के खिलाफ निर्णित किया है। जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः है।

तनकी संख्या तीन - आया वादग्रस्त भूमि में वादी का कोई हक-हिस्सा व कब्जा-काश्त नहीं है और सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण की है? इस तनकी को साबित करने का दायित्व प्रतिवादीगण पर था, जिनकी ओर से प्रस्तुत गवाहान डीडब्ल्यु-1 धीमाराम (प्रतिवादी-अपीलाण्ट संख्या एक) ने जिरह में साफ-साफ स्वीकार किया कि वादी-रेस्पो. हरलाल की ढाणी पुश्तैनी भूमि में बनी हुई है और वह 19 बीघा पर काश्त करता है। अन्य गवाहान डीडब्ल्यु-2 से डीडब्ल्यु-4 कमशः चेनाराम, कैलाश व पपुराम से की गयी जिरह में भी मौके पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वादी-रेस्पो. हरलाल का भी कब्जा होने की पुष्टि होती है। किसी भी साक्ष्य से वादग्रस्त आराजियात में से वादी-रेस्पो. हरलाल द्वारा अपना हिस्सा निकाल दिया जाना साबित नहीं होने की स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या तीन का निर्णय प्रतिवादीगण के खिलाफ एवं वादी के पक्ष में किया गया है। जाहिर है कि जब वादग्रस्त आराजियात में से वादी-रेस्पो. हरलाल (जो कि भारतीय सेना में कार्यरत रहा है) द्वारा अपने हिस्से की भूमि निकाली ही नहीं गयी, तो उस स्थिति में किसी भी दृष्टिकोण से यह नहीं माना जा सकता कि उसके द्वारा स्वयं अपने व अपनी पत्नी व संतान के नाम से कय की गयी भूमि में पुश्तैनी गुण उपलब्ध हो। इन परिस्थितियों में तनकी संख्या तीन बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत रखा जाता है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट्स-प्रतिवादीगण सारहीन होने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पायी जाती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर ओसियां द्वारा राजस्व वाद संख्या 84/2008 हरलाल बनाम धीमाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 फरवरी 2018 यथावत रखे जाते है तथा अपीलाण्ट्स-प्रतिवादीगण द्वारा अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत काउण्टर क्लेम खारिज किये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। डिक्री पर्चा जारी किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/X/2021

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिकी बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट
1. धीमाराम पुत्र मिसरीराम विश्नोई 2. चेनाराम पुत्र मिसरीराम विश्नोई निवासी मीनों की ढाणी, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर	**ब ना म**	1. हरलाल पुत्र मिसरीराम विश्नोई 2. रामुराम पुत्र मिसरीराम विश्नोई निवासीगण मीनों की ढाणी तहसील ओसियां, जिला जोधपुर 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ओसियां जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिकी न्यायालय सहायक कलेक्टर, ओसियां दिनांक 28 फरवरी 2018 राजस्व वाद संख्या 84/2008 हरलाल बनाम धीमाराम इत्यादि

------- 0 -------

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 12 अक्टूबर 2021 बहाजरी अधिवक्ता श्री सुगनमल परिहार एवं श्री सिद्धार्थ परिहार मिनजानिब अपीलाण्ट अधिवक्ता श्री पर्वतसिंह भाटी, श्री जेठूसिंह भाटी एवं राजकीय अधिवक्ता श्री दयाराम चौधरी उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलाण्ट्स-प्रतिवादीगण सारहीन होने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पायी जाती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर ओसियां द्वारा राजस्व वाद संख्या 84/2008 हरलाल बनाम धीमाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 28 फरवरी 2018 यथावत रखे जाते है तथा अपीलाण्ट्स-प्रतिवादीगण द्वारा अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत काउण्टर क्लेम खारिज किये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---------) रूपये ---------- अदा करें।
खर्चा मुकदमा मातहत का ---------- अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 12 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया।

12/X/2021

(नखतदान बारहठ) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील		1. स्टाम्प वकलातनामा	

2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान		2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	

21/5/2021

(नखतदान बारहठ) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर